नियमावली

1. संस्था का नाम : **दीपराजी सिंह सेवा संस्थान**
2. संस्था का पता : ग्राम–पूरे खुर्दहा, पोस्ट–कोठा, वाया चन्दापुर, तहसील–तरबगंज, जनपद–गोण्डा।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारत
4. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग:

<u>सदस्यता</u>– संस्था में वे सभी व्यक्ति सदस्यता ग्रहण कर सकते है। जो भारत के नागरिक हों तथा जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो तथा संस्था के नियमों आदर्शों एवं उद्देश्यों में आस्ता रखतें हों, नियमानुसार सचिव लिखित पत्र देकर अनुमति प्राप्त करके सदस्यता ग्रहण कर सकते है। परन्तु सदस्यों की संख्या 51 से अधिक नहीं होगी।

5. संस्थापक सदस्य– जिन व्यक्तियों के योगदान से संस्था का निर्माण हो रहा है तथा पंजीयन के समय स्मृति–पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं। संस्था के संस्थापक सदस्य कहलायेंगे और संस्था के आजीवन सदस्य रहें तथा वे व्यक्ति निःस्वार्थ समर्पित होकर एक मुश्त पांच हजार रूपया नकद या इतने ही मूल्य की सम्पत्ति प्रदान करेंगे।

6. आजवीन सदस्य– अन्य जो भी व्यक्ति संस्था के आदर्शों, उद्देश्यों के प्रति निःस्वार्थ समर्पित होकर एक मुश्त पांच हजार रूपये नकद या इतने ही मूल्य की सम्पत्ति प्रदान करेंगे। प्रार्थना–पत्र देने पर वह भी संस्था के आजीवन सदस्य बनाये जा सकेंगे।

7. सामान्य सदस्य– जो व्यक्ति संस्था के उद्देश्य एवं आदर्शों के प्रति समर्पित होकर निःस्वार्थ रूप से संस्था के विकास हेतु पांच हजार रूपये नकद या इतने ही मूल्य की सम्पत्ति प्रदान करेंगे। प्रार्थना–पत्र देने पर वह भी संस्था के आजीवन सदस्य बनाये जा सकेंगे।

8. संरक्षक सदस्य– कोई भी भारतीय नागरिक जो समाज का सुप्रतिष्ठित, सुशिक्षित, गणमान्य व्यक्ति जैसे–विधायक, सांसद, शिक्षाविद् अथवा अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति प्रबन्धकारिणी समिति के अनुमोदन पर संस्था के संरक्षक सदस्य मनोनीति किये जाये सकेंगे।

9. <u>सदस्यता समाप्ति</u>–
1. मृत्यु हो जाने पर।
2. पागल या दिवालिया हो जाने पर।
3. संस्था के प्रति हानिकारक कृत्य करने पर।
4. नैतिक अपराध में न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।
5. नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न अदा करने पर।
6. अविश्वास प्रस्ताव अथवा स्वयं द्वारा त्याग–पत्र दिये जाने पर।
7. बिना कोई सूचना दिंये हुये निरंतर बैठकों में अनुपस्थित होने पर।

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
फैजाबाद (उ० प्र०)
07/09/2008

अध्यक्ष
दीप राजी सिह सेवा सस्थान
पूरे खुर्दहा, कोठा, चन्दापुर

कोषाध्यक्ष-

(य) आय व्यय का लेखा-जोखा रखना।

(र) सचिव द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना।

(ल) दान, चन्दा, सदस्य ता शुल्क प्राप्त कर रसीद देना तथा प्राप्त धनराशि बैंक में जमा करना।

(व) समिति के आकस्मिक कार्य हेतु 4000/- रूपये तक नकद रखना।

(श) संस्था के विकास हेतु अन्य कार्य करना।

संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया-

साधारण सभा के दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्द्धन किया जायेगा।

संस्था का कोष- संस्था का कोष किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट आफिस में संस्था के नाम खाता खोलकर जमा किया जायेगा जिसका संचालन कोषाध्यक्ष एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण-

संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष योग्य आडिटर द्वारा किया जायेगा।

संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन के उत्तरदायित्व-

संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व अध्यक्ष एवं सचिव पर होगा या उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति पर होगा।

संस्था का अभिलेख-

(1) सदस्यता रजिस्टर
(2) कार्यवाही रजिस्टर
(3) टाक रजिस्टर
(4) कैश बुक आदि।

संस्था के विघटन एवं विघटित सम्पत्ति के निस्तारण के कार्यवाही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

(सत्य-प्रतिलिपि)

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
फैजाबाद (उ॰ प्र॰)
दिनांक : 05.01.07

09/03/2008

हस्ताक्षर

1.

2.

3.

अध्यक्ष
दीप राजी सिह सेवा संस्थान
पूरे खुर्दहा, कोठा, चन्द्रापुर
वजीरगंज-गोण्डा

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्त्तव्य-

अध्यक्ष-

1. समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. बैठकों के लिये दिनांक अनुमोदन करना, तिथियों में परिवर्तन करना एवं बैठकों को स्थगित करना।
3. समान मत होने पर निर्णायक मत देना।
4. बैठकों में शान्ति व्यवस्था कायम रखना।
5. संस्था का कार्य मुख्य कार्यपालक के रूप में करना।

उपाध्यक्ष-

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य करना तथा उसके कार्यों में सहयोग प्रदान करना।

सचिव-

(क) प्रबन्धकारिणी समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करना।

(ख) पारित बजट के अन्तर्गत व्यय की स्वीकृति देना।

(ग) राष्ट्रीय सहायता अनुदान, ऋण प्राप्त करना तथा सदस्यों की सदस्यता शुल्क हेतु व्यवस्था करना।

(घ) संस्था के समस्त चल व अचल सम्पत्ति की रक्षा एवं उस पर नियन्त्रण रखना।

(ङ.) संस्था की ओर से अदालती कार्यवाही करना।

(च) वैतनिक कर्मचारियों, शिक्षकों की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्नति, वेतनवृद्धि, निलम्बन व बहाली आदि करना।

(छ) समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में आवश्यकतानुसार धन व्यय करना।

(ज) संस्था के आडिट की व्यवस्था करना।

(झ) संस्था से सम्बन्धित समस्त बिल व बाउचरों, अनुबन्ध पत्रों, लेखो, अभिलेखों, संविदों, नियुक्ति पत्रों, बन्धक पत्रों, डिमान्ड पत्रों आदि पर हस्ताक्षर करना।

(ञ) संस्था की ओर से पत्रव्यवहार करना।

(ट) बैठकों की सूचना सदस्यों को लिखित रूप में देना।

(ठ) बैठकों की कार्यवाही लिपिबद्ध करना एवं बैठकों में पढ़कर सुनाना।

(ड) सदस्यों के नाम रजिस्टर पर लिखना।

(ढ) संस्था के अभिलेख व प्रपत्र सुरक्षित रखना।

(ण) संस्था के विकास हेतु अन्य उपयोगी कार्य सुनिश्चित करना।

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म्स समितियां तथा चिट्स
फैजाबाद (उ० प्र०)
05/09/2008

अध्यक्ष
दीप राजी सिह सेवा संस्थान
पूरे खुर्दहा, कोठा, चन्दापुर

18. **सूचना अवधि–** प्रबन्धकारिणी की सामान्य बैठक की सूचना लिखित रूप से पन्द्रह दिन पूर्व विशेष बैठक की सूचना लिखित रूप से एक सप्ताह पूर्व तथा आपात बैठक की सूचना लिखित रूप से 24 घंटे पूर्व सदस्यों को दी जायेगीं।

19. **गणपूर्ति–** प्रबन्धकारिणी समिति/कार्यकारिणी समिति के अन्तर्गत यदि कोई भी स्थान आकस्मिक कारणों से या त्याग पत्र देने से रिक्त होता है तो इसकी पूर्ति साधारण सभा के दो तिहाई 2/3 सदस्यों के बहुमत से शेष कार्य–काल के लिए नियुक्ति की जायेगी अथवा अध्यक्ष एवं सचिव 6 माह के लिये साधारण सदस्यों में से ही मनोनीति कर सकता है।

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य–

(क) संस्था की उन्नति के लिए आवश्यक कार्य करना।

(ख) संस्था का वार्षिक एवं वार्षिक बजट तैयार करना।

(ग) उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, स्थानीय निकास, दानशील, व्यक्तियों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, सरकारी अर्द्ध सरकारी कार्यालयों, समाज कल्याण विभाग उ0प्र0, केन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, कपार्ट, अबार्ड, नाबार्ड, सिडवी, मानव संशाधन विकास मन्त्रालय यूनिसेफ, रेडक्रास, डवाकर सिफ्सा, सैफइण्डिया, हेल्पेज, इण्डिया, आक्सकेम इण्डिया, सूडा, डूंडा विश्व स्वास्थ्य संगठन, राष्ट्रीय महिला कोष, विश्व बैंक, हुडको केयर, खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड उत्तर प्रदेश, अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, वन मन्त्रालय, पशुधन विकास मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, शिक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रीयकृत बैंकों वित्तीय निगमों उत्तर प्रदेश/केन्द्रीय महिला कल्याण निगम, कृषि विभाग, उद्यान विभाग उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य श्रोतों से ऋण/अनुदान/वित्तीय सहायता प्राप्त करना।

(घ) संस्था की शाखाओं, उप शाखाओं, उप समितियों का गठन करना। उनका संचालन करना तथा उन पर नियन्त्रण रखना।

(ड.) संस्था के लिये चल–अचल सम्पत्ति दान स्वरूप प्राप्त करना और उसकी सुरक्षा व्यवस्था करना।

कार्यकाल– प्रबन्धकारिणी समिति/कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल उसके पंजीयन तिथि से 5 वर्ष तक को होगा।

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म्स समितियां तथा चिट्स
फैजाबाद (उ० प्र०)
05/09/2008

अध्यक्ष
दीप राजी सिह सेवा सस्थान
पूरे खुर्दहा, कोठा, चन्दापुर

10. संस्था के अंग- संस्था के संस्थापक सदस्यों, आजीवन सदस्यों, सामान्य सदस्यों एवं संरक्षण सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा।

11. सूचना अवधि- साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना पन्द्रह दिवस पूर्व लिखित रूप से तथा विशेष बैठक की सूचना एक सप्ताह पूर्व लिखित रूप से देकर सदस्यों को सूचित किया जायेगा।

12. बैठकें- साधारण सभा सामान्य बैठक वर्ष में दो बार व विशेष बैठक सूचना देकर कभी भी सदस्यों को आहूत करके की जा सकती

13. गणपूर्ति- साधारण सभा की कुल सदस्यों में से दो तिहाई सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति के लिए मान्य होगी विशेष बैठक के लिये आधे से अधिक सदस्यों की उपस्थिति मान्य होगी।

14. विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि- साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार होगा। जिसकी तिथि प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति/कार्यकारिणी समिति द्वारा साधारण सभा के बैठक में दो तिहाई बहुमत के सदस्यों के बहुमत से निश्चित की जायेगी।

15. साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य-

क- प्रबन्धकारिणी समिति/कार्यकारिणी का निर्वाचन करना।

ख- संस्था का वार्षिक रिपोर्ट एवं वार्षिक बजट पास करना।

ग- संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्द्धन दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से पारित करना।

16. प्रबन्धकारिणी/कार्यकारिणी समिति का गठन-

साधारण सभा द्वारा निर्धारित संस्था के संस्थापक सदस्यों आजीवन सदस्यों, सामान्य सदस्यों एवं संरक्षण सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा। जिसमें एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष एक सचिव एक उपसचिव, कोषाध्यक्ष सहित एवं बाकी सदस्य होंगे। इस प्रकार कुल संख्या-11 होगी। आवश्यकतानुसार सदस्य संख्या बढ़ायी जा सकती है। ~~किन्तु कार्यकारिणी की कुल सदस्य संख्या न्यूनतम 21 से कम कभी भी कम नहीं की जा सकेगी।~~

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक
फर्म समितियां तथा चिट्स
फैजाबाद (उ० प्र०)
05/07/2008

कार्यालय निबन्धक ... फैजाबाद-उ० प्र०

17. बैठकें- प्रबन्धकारिणी समिति/कार्यकारिणी की सामान्य बैठक वर्ष में दो बार तथा विशेष बैठक अध्यक्ष/सचिव के आज्ञानुसार सदस्यों को पन्द्रह दिवस पूर्व लिखित सूचना देकर आहूत की जा सकेगी।

अध्यक्ष
दीप राजी सिंह सेवा संस्थान
पूरे खुर्दहा, कोटा, चन्दापुर